

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 28.04.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

आनलाइन ठगी करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 28.04.2019 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री कुशलपाल सिंह यादव व उप निरीक्षक श्री कैलाश चन्द्र यादव थाना कोतवाली जनपद अलवर राजस्थान के नेतृत्व मे गठित संयुक्त टीम द्वारा काशी आवासीय कालोनी से काफी समय से ग्राहको के पहचान पत्रो मे कांट छांट कर शातिर तरीके से आनलाइन ठगी करने वाले अभियुक्त नाम पता जितेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल निवासी बारी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि वादी (निवासी 90 आजाद नगर, 60 फीट रोड, थाना एन0ई0बी0 जनपद अलवर) ने दिनांक 22-04-19 को थाने पर उपस्थित होकर अभियोग पंजीकृत कराया कि दिनांक 21-04-2019 को सायंकाल मेरे घर 60 फीट रोड पर उपस्थित बुल फायनेंस कम्पनी से एक आदमी आया, उसने मुझे बताया कि आपने जो आनलाइन पर्सनल लोन लिया है उसकी किस्त भरे । इस मैने उसको बताया कि मैने आज तक आप की कम्पनी से कोई लोन नहीं लिया है तो उस व्यक्ति ने दिनांक 22-04-2019 को ब्रांच भगत सिंह आने को कहा । आज जब मै वहा गया तो कर्मचारियो ने मुझे लोन के कागजात दिखाये तो मैने देखा कि किसी व्यक्ति ने मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड पर फोटो लगाकर लोन लिया है । फोटो मेरा नहीं है और नाम व पते मे भी संशोधन किया गया है, पूर्व मे भी मेरे खाते से 65000 रुपये निकल चुके है जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 80 / 19 पंजीकृत है ।

वादी के प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0 360 / 19 धारा 420 / 467 / 468 / 471 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । उ0नि0 श्री कैलाश चंद्र यादव द्वारा विवेचना के दौरान परम्परागत तरीको एवं आधुनिक कार्यशैली से मो0नं0 के जरिये अभियुक्त की पहचान कर थाना कोतवाली खलीलाबाद के सहयोग से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजलाल निवासी बारी थाना खजनी जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण –

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री कुशलपाल सिंह यादव, उ0नि0 श्री कैलाश चन्द्र यादव थाना कोतवाली अलवर राजस्थान, उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार यादव थाना कोतवाली खलीलाबाद, का0 भोमारम थाना कोतवाली अलवर राजस्थान, का0 वीर बहादुर सिंह कोतवाली खलीलाबाद, महिला का0 कुमारी मीना थाना कोतवाली खलीलाबाद, महिला का0 कुमारी सोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद, महिला का0 कुमारी नीलम यादव थाना कोतवाली खलीलाबाद ।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, एक

अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त नाम पता विजय कुमार गौतम पुत्र राम सवारे उर्फ साधू निवासी देवरिया बाबू थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 172 / 19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3305 ने विवाद को कराया शान्त – पीआरवी 3305 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत उस्का कला से इवेन्ट संख्या 3403 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट एवं विवाद होने के संबंध में सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 06 मिनट में मौके पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को पीआरवी से अस्पताल पहुंचाया गया तथा थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर विवाद को शान्त कराया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ - आरक्षी उमेश गौतम, हो0चा0 विरेन्द्र चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 04 वाहन चालान व 74 वाहनो से 19200 रु0 सम्मन

शुल्क वसूल

आज दिनांक 28-04-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 04 वाहन चालान व 74 वाहनो से 19200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

शान्ति भंग मे (151/107/116 सीआरपीसी) 08 अभियुक्त गिरफ्तार –

1- कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



2- दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

3 - महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।



एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 28-04-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 17 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 53 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।